न्यायालय सहायक कलक्टर एवं मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

पतारी बनाम राजपाल

न्यायालय

संख्या 55/24 डीएए

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी श्री दिनेश पारीक उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र दावा आगे नही चलाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसे वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया की वादीय पतारी इनी वक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहती है अतः वाद खारिज फरमावे। चूंकि वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है अतः वाद विशेष के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	Parlek Ad. 18/10/2024

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:16:33 IST
Reason: SelfAttested